रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092022-238578 CG-DL-E-03092022-238578

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3962] No. 3962] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 2022/भाद्र 11, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022/BHADRA 11, 1944

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली. 2 सितंबर. 2022

का. आ. 4143(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के उपनियम (1) के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) तथा धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1365(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2004 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 26 के सामने स्तंभ (2) की मद (ख) और (ग) के सामने स्तंभ (4) में "अधिसूचना की तारीख से बारह मास" शब्दों के स्थान पर "1 अक्टूबर, 2022" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा. सं. आरटी-11036/60/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव,

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1365(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3896(अ), तारीख 12 अगस्त, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी।

5930 GI/2022 (1)

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2022

**S. O. 4143(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 and clause (k) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), read with sub-rule (1) of rule 124 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1365(E), dated the 13th December, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), namely:-

In the said notification, in the Table, against Sl. No. 26, in column (4) against items (b) and (c) of column (2), for the words "Twelve months from the date of notification", the words, figures and letters "1st day of October, 2022" shall be substituted.

[F. No. R.T.-11036/60/2022-MVL]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.

**Note.**- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1365(E), dated 13<sup>th</sup> December, 2004 and lastly amended *vide* notification number S.O. 3896(E) dated 12<sup>th</sup> August, 2022.